SHRIMATI SMRITI ZUBIN IRANI: Sir, the medium of instruction falls within the realm of the State Government, given that Education is a part of the Concurrent List.

I would also like to highlight to the hon. Member that in so far as the answer given in the written reply is concerned it is in itself complete. The scholarships are mainly targeted at individual students and not at institutions because it is the student's desire to study, that the Government tries to support through financial aid.

In so far as we are trying to support more Urdu medium schools is concerned, the Government of India under Sarva Shiksha Abhiyan and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan supports States to open schools within the norms given. If a State Government so desires to open an Urdu medium school, then, the Government of India supports as long as the proposal is within the norm prescribed.

**चौधरी मुनव्वर सलीम** : सभापति महोदय, माननीया मंत्री जी से जो सवाल है, उसका जवाब तो गोलमोल आया, लेकिन मेरा कहना यह है कि अल्पसंख्यक बच्चों को जो छात्रवृत्ति दी जाती है, वह जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से दी जाती है। मैं मध्य प्रदेश में इस बात को देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में छात्रवृत्ति लौट कर आ जाती है और जिला शिक्षा अधिकारी इंसाफ नहीं करते हैं। जिस तरह से एससी/एसटी के बच्चों की छात्रवृत्ति डायरेक्ट स्कूल में जाती है, क्या माननीया मंत्री जी नीति में परिवर्तन करके कुछ ऐसा करेंगी कि अल्पसंख्यक बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति डायरेक्ट स्कूलों में जाने लगे, ताकि उससे बच्चे लाभान्वित हों और केन्द्र की छात्रवृत्ति की रकम लौट कर न आए?

چودھری منوّر سلیم (اتّر پردیش) : سبھا پتی مہودے، مانّنیہ منتری جی سے جو سوال ہے، اس کا جواب تو گول† مول آیا، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ اقلیتی بچوں کو جو چھاتر-ورتّی دی جاتی ہے، وہ ضلع شکشا ادھیکاری کے مادھیم سے دی جاتی ہے۔ میں مدّھیہ پردیش میں اس بات کو دیکھ رہا ہوں کہ بڑی تعداد میں چھاتر-ورتّی لوٹ کر آجاتی ہے اور ضلع شکشا ادھیکاری انصاف نہیں کرتے ہیں۔ جس طرح سے ایس‌سی-/ایس‌ٹی۔ کے بچوں کی چھاتر-ورتّی ڈائریکٹ اسکول میں جاتی ہے، کیا مانّنیہ منتری جی نیتی میں تبدیلی کرکے کچھ ایسا کریں گی کہ اقلیتی بچوں کو دی جانے والی چھاتر-ورتّی ڈائریکٹ اسکولوں میں جانے لگے، تاکہ اس سے بچوں کو فائدہ ہو اور کیندر کی چھاتر-ورتّی کی رقم لوٹ کر نہ آئے؟

**श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी** : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से कहना चाहती हूँ कि मेरा जवाब भी डायरेक्ट था और स्कॉलरशिप डायरेक्ट जाए, यह भी मेरा प्रयास है।

### Relaxation from R&R clause in acquisition of land

*64. DR. PRADEEP KUMAR BALMUCHU: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry has sought exemption from Rehabilitation and Resettlement (R&R) clause of the Land Acquisition Act, on the ground that road

†Tranliteration in Urdu Script.

projects are linear and do not involve large scale displacement of people, if so, the details thereof;

(b) the number of road projects that are being affected by this clause, State-wise; and

(c) the Government's response thereto?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

***Statement***

(a) to (c) At the time of Inter-Ministerial consultation before notification of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (RFCTLARR) Act, 2013, the Ministry of Road Transport and Highways, sought exemption from the applicability of the provisions of the said Act in cases of acquisition of land under the National Highways (NH) Act, 1956 for the National Highway (NH) projects on the ground that such projects are linear and do not involve large scale displacement of people. Since, construction and development of NH projects are continuous process, on promulgation of RFCTLARR Act, 2013, read with the RFCTLARR (Amendment) Ordinance, 2014, all the National Highway projects implemented during the currency of enforcement of these legislations are governed by provisions under them.

**डा. प्रदीप कुमार बालमुचू** : सभापति महोदय, सरकार ने माना है कि उसने अमेंडमेंट किया है और नेशनल हाईवेज़ को एग्ज़ेम्पशन दी गई है। आपके माध्यम से मेरा मंत्री जी से सवाल है कि इससे देश में कितनी परियोजनाएँ प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते काम रुक गया है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी** : सभापति महोदय, हमें नेशनल हाईवेज़ के लिए 35,000 किलोमीटर में लगभग 88,000 हेक्टेयर लैंड एक्वायर करनी थी। पहले उसकी कीमत 70,000 करोड़ रुपए थी। अब कंपेंसेशन बढ़ गई है और वह 1,90,000 करोड़ रुपए तक पहुँच गई है। इसमें लैंड एक्विज़िशन एक कारण है। इसके साथ-साथ फॉरेस्ट एंवायरनमेंट क्लियरेंस, बाद में रेलवे ओवरब्रिजेज़ की प्रॉब्लम्स के कारण करीब 3,80,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स स्टक-अप हुए थे, जिनमें से करीब 1,40,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स क्लियर हुए हैं। इसमें करीब 40 प्रोजेक्ट्स हमने टर्मिनेट कर दिए हैं और करीब 26 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, जिनमें अभी भी हमारी मिनिस्ट्री समाधान नहीं ढूंढ़ सकी है। इनके मार्गदर्शन के लिए हमने कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा है। Land acquisition की जो कॉस्ट है, वह काफी बड़ी है, जिसके कारण जब यह प्रस्ताव ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से हमारी तरफ आया था, तब स्वाभाविक रूप से हमने अपनी बात उसमें कही।

मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि यूपीए सरकार के समय में जो बिल आया था, उसमें जो Act No. - 105 है, उसके Forth Schedule के अनुसार 13 Acts को ऑलरेडी land acquisition से exempt किया था। उसमें से National Highway Act को भी exempt किया गया था, जो

consent और socio-economic assessment की बात थी। इसके लिए हमने जो ordinance निकाला था, अगर 31 दिसम्बर से पहले हम यह ordinance नहीं निकालते, तो हम लोगों में भी इसे लेकर कन्फ्यूज़न था और किसान भी पैसे नहीं ले रहे थे, इस तरह शायद हम आगे काम भी नहीं कर सकते थे। ऑर्डिनेंस निकलने के बाद हमारे डिपार्टमेंट ने करीब एक गुना से चार गुना तक इसके दाम बढ़ाकर 1400 करोड़ रुपये से ज्यादा एमाउंट किसानों को दिया है और जिस प्रकार से इस ऐक्ट में provision है, अभी भी हम लोग उसमें और भी अधिक बढ़ा कर देने की कोशिश कर रहे हैं।

**डा. प्रदीप कुमार बालमुचू** : सभापति महोदय, मैंने मंत्री जी से बड़ा साफ सवाल पूछा था कि इससे किस-किस राज्य में कौन-कौन सी परियोजनाएं इफेक्ट कर रही हैं? मंत्री जी अभी आपने अपने जवाब में कहा कि कुछ योजनाओं को टर्मिनेट भी किया गया है, उनको टर्मिनेट करने का कारण क्या है? मंत्री महोदय हमें यह बताने की कृपा करें कि उनको किसलिए टर्मिनेट किया गया?

**श्री नितिन जयराम गडकरी** : सर, आज मेरे पास प्रोजेक्टवाइज़ रोड सेक्टर की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन किलोमीटर में इसकी जो लेंथ है, वह काफी बड़ी है, इसलिए land acquisition की प्रॉब्लम तो आती ही है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से land acquire होती है। अनेक राज्यों, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इत्यादि में प्रॉब्लम यह हुई है कि land acquisition 10% ही हुआ था, लेकिन साथ ही साथ work order भी दे दिया गया, appointment भी दे दी गई। Forest and Environmental Clearance अभी मिला नहीं और work order दे दिया गया, appointment दे दी गई। इन कारणों से दो-दो, तीन-तीन साल तक मशीनरीज़ साइट पर खड़ी रहीं, लेकिन contractor काम नहीं कर पाए।

इस अनुभव के बाद अब हमने निर्णय लिया है कि कम से कम 80% land acquisition हुए बिना और Forest and Environmental Clearance के बिना हम कोई ऑर्डर नहीं देंगे। अंदाज़न मैं कह सकता हूं कि इस negligence के कारण देश का करीब 40 से 50 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

इस काम में करीब 40 contractors involved हैं, जिनमें देश की ऐसी बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, जिनका नाम लेने में भी मुझे संकोच होता है। ये कंपनियां इसलिए मेरी तरफ नहीं आ रही थीं कि हमको काम करना है या काम दीजिए, ये कंपनियां मेरे पास इसलिए आ रही थीं कि हमारा काम टर्मिनेट कीजिए। इसके कारण हमने करीब 40 प्रोजेक्ट्स टर्मिनेट कर दिए हैं और अब दोबारा से टेंडर निकालकर उन पर हम काम कर रहे हैं। इससे इनकी कॉस्ट भी बढ़ी है। Forest and Environmental Clearance में delays के कारण और राज्य सरकारों के द्वारा land acquisition में delays के कारण इस देश को बहुत बड़ा नुकसान सहन करना पड़ा है। इससे road sector का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

हम लोग अब राज्यों के साथ coordination की कोशिश कर रहे हैं, जिससे इसमें कुछ सुधार हुआ है। इसके लिए मैं पश्चिमी बंगाल गया था और वहां के मुख्य मंत्री जी के साथ मैंने मीटिंग की थी, वहां काफी प्रोजेक्ट्स में उन्होंने मदद की है। अन्य सभी राज्य सरकारें भी इसमें मदद कर रही हैं। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश भी गया था, उन्होंने भी मदद की है। मुझे लगता है कि land acquisition की प्रॉब्लम complicated जरूर है, लेकिन अपने फॉलोअप के बाद हम इसको अवश्य पूरा कर लेंगे। शायद next time जब मैं पार्लियामेंट के अगले सैशन में आऊंगा, तब इस देश का एक भी प्रोजेक्ट डिलेड नहीं रहेगा, stuck-up नहीं रहेगा, सब क्लीयर होगा। जो क्लीयर नहीं होगा, उसको टर्मिनेट करके, नये सिरे से टेंडर देकर हम उस पर काम शुरू करेंगे।

**डा. अनिल कुमार साहनी** : सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं जानकारी चाहूंगा कि खास तौर पर भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना के कारण बहुत सारे ऐसे किसान हैं, जिनका घर परियोजना के बीच में पड़ गया है, लेकिन उनको सही मूल्य नहीं दिया जाता है। आपके पास मूल्य निर्धारण का क्या मापदंड है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी** : मैं सम्माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं है, इसमें अब आश्चर्यजनक बदलाव हुआ है। मेरे पास चार दिन पहले दो भाई मिलने के लिए आए थे, जिनकी जमीन रोड में जा रही थी और दोनों भाई हमसे यह कह रहे थे कि मेरी जमीन ले लो। दोनों भाइयों में यह स्पर्द्धा चल रही थी कि मेरी जमीन ली जाए। इसका कारण यह है, हालाकि मेरा यह बताना उचित नहीं होगा, जहां मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपये थी, वहां हम लोग 3 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये तक दे रहे हैं। नये ऐक्ट के कारण इसमें जो सुधार हुआ है, उसी से ऐसा सम्भव हुआ है। मैं किसान हूं, इसलिए इसको स्वीकार करता हूं कि जिसकी जमीन पर हम यह काम कर रहे हैं, उसको उचित मुआवज़ा अवश्य मिलना चाहिए और यह मुआवज़ा हम दे रहे हैं।

मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स में किसानों की जो cost of land acquisition है, उसको लेकर उस प्रोजेक्ट में अगर हम 20 साल के लिए उसको इक्विटी दे सकते हैं, तो उसको 20 साल तक टोल की इन्कम भी मिलेगी। उसमें specific return 14% से 15% निश्चित करके land acquisition में वह 50% कॉस्ट ले सकता है और 50% इक्विटी ले सकता है अथवा वह 75% इक्विटी और 25% कैश ले सकता है अथवा वह 100% कैश ले सकता है। इसकी च्वाइस हम किसान को देंगे। चूंकि कुछ समाज सुधारकों ने ऐसा विषय उठाया है कि जब किसान के पास करोड़ों रुपये के हिसाब से पैसा आ जाता है, एकदम इतना पैसा आने के बाद वह खर्च हो जाता है और फिर बाद में किसान की परिस्थिति बिगड़ जाती है।

उसके रिटर्न्स मिलने चाहिए, इस प्रकार का भी एक सुझाव आया था। अभी इसके ऊपर निर्णय नहीं हुआ है, पर इसके ऊपर भी हम विचार कर रहे हैं।

**श्री के.सी. त्यागी**: सर, इन्होंने पूछा था ...**(व्यवधान)**...

**श्री सभापति**: नहीं, नहीं, प्लीज।

**श्री के.सी. त्यागी**: सर, इन्होंने पूछा था कि मूल्य निर्धारण करने की नीति क्या है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी** : सर, यह सब्जेक्ट concurrent list में है और भारत सरकार ने जो बिल पास किया, उसमें बिल का एक पार्ट होता है और उसके बाद रूल्स बनने की दूसरी बात होती है। पिछली बार जब जयराम रमेश जी ने यह बिल पास किया था, तब हरियाणा की सरकार ने केवल दो गुना कीमतें दी थी और हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने उस समय 2.25 times recommend किया था। हमारी सरकार ने 31 दिसम्बर को ordinance निकलने के बाद यह कहा कि compensation और पुनर्वासन के साथ कोई compromise नहीं होगा और एक के बजाए चार गुना का जो spirit था, हम सब जगह land acquisition पर वह कीमत दे रहे हैं। हमने कहीं किसानों का नुकसान नहीं किया, एक भी जगह पर कोई नुकसान नहीं हुआ।

**डा. विजयलक्ष्मी साधौ:** महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि शहर और ग्राम में आप जो acquisition करते हैं, शहर और ग्राम की सीमा के बाहर जो acquisition करते हैं, उसमें आप उसकी कितनी जमीन लेते हैं?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सर, mainly 80 परसेंट land acquisition इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। रोड के लिए, रोड की width बढ़ाने के लिए जितनी land acquisition की आवश्यकता होती है, उतनी हम करते हैं। जैसी रोड है, उस हिसाब से land acquisition होता है। हमारी four lane हैं, six lane हैं, eight lane हैं, उस हिसाब से land acquisition होता है। रोड के लिए जमीन लेने का amount बहुत कम है, पर उसके बाद जो ready reckoner होता है, जो राज्य सरकार का नियम होता है, राज्य सरकार के नियम के अनुसार राज्य सरकार के कलक्टर महोदय इसकी कॉस्ट पक्की करते हैं और कॉस्ट निश्चित करने के बाद केन्द्र सरकार ने जो नियम पास किया है, उसके अनुसार उसको चार गुना तक बढ़ाया जाता है और वह कॉस्ट हम दे रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Mr. Husain Dalwai.

**श्री हुसैन दलवई:** सर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जो मुम्बई-गोवा रोड है, जिसके सेकण्ड फेज का उद्घाटन मंत्री महोदय ने किया, लेकिन पहले फेज का काम तीन साल से वैसा ही पड़ा है, वहां कुछ भी काम नहीं होता है। उस पर एक्सीडेंट्स होते हैं, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या पहले फेज को पूरा करने के लिए कोई निर्णय लिया जाएगा? पहला फेज ऐसे ही बीच में क्यों पड़ा है?

**श्री नितिन जयराम गडकरी:** सर, सम्मानीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, वह सही है, क्योंकि मैं भी इस विषय से बहुत संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ हूँ। यह death trap है। मुम्बई-गोवा रोड पर रोज इतने लोग मर रहे हैं, यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मैं सदन को बता देना चाहता हूँ कि देश में 5 लाख एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें 3 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है और 3 लाख लोगों के हाथ-पैर टूट जाते हैं और इसके कारण प्रोजेक्ट डिले होते हैं। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि पनवेल के पास एक फॉरेस्ट का मामला है, जो आप जानते हैं, आप वहीं के रहने वाले हैं, उनका clearance न मिलने के कारण काफी अड़चनें आ रही हैं। अभी मैंने जावडेकर जी के साथ दो बार मीटिंग की है, उससे सॉल्यूशन निकलेगा। जहां तक land acquisition की बात है, इसमें कोंकण के चार जिलें हैं, जैसे रायगढ़ जिला है, रत्नागिरी जिला है, सिन्दुदुर्ग जिला है और मैंने रत्नागिरी में आकर भी वहां land acquisition की मीटिंग ली थी। अभी तीन दिन पहले महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री जी के साथ भी मीटिंग हुई है। हमने पैसा भी deposit करके रखा है और जो भी राज्य सरकार तय करेगी, हम उतना पैसा देने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि तीन महीने में मुम्बई-गोवा रोड पर land acquisition की सभी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाएंगी। मुम्बई-गोवा का जो four lane concrete road है, जिसमें साढ़े हजार से पांच हजार करोड़ रुपए लागत आएगी, उसको हम आने वाले दो-ढ़ाई साल में निश्चित रूप से पूरा करेंगे।

15 ब्रिजेज़ का काम, जिसका मैंने भूमि पूजन किया था, जैसा कि आपने कहा है, उनमें से लगभग ब्रिजेज़ के वर्क ऑर्डर दिए गए हैं और उसके काम की शुरुआत हो रही है।